भा0कृ0अनु0प0–केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय केन्द्र मोदीपुरम, मेरठ–250110, उ.प्र.।

RIGHT TO INFORMATION

Phone (0121) 2575497, Fax (0121) 2576584; E-mail : cpric.modipuram@gmail.com

भाकृअनुप ICAR
CPRI

# नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वाहनों की नीलामी जहां है, जैसा है के आधार पर, मोदीपुरम परिसर पर दिनांक 18.6.2018 को की जाएगी :

| विवरण | मॉडल | धरोहर राशि |
|---|---|---|
| मारुति वैन **HP 03 638** | 1992 | Rs. 5,000/– |
| मिनी बस **BR 01 0784** | 1996 | Rs. 15,000/– |

1. पंजीकरण दिनांक 18.6.2018 सुबह 9.30 बजे से 11.00 बजे के बीच होगा। प्रत्येक वाहन के लिए अलग–अलग धरोहर राशि नगद जमा करवानी होगी।
2. बिना धरोहर राशि जमा कराये बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा। नीलामी की शर्तें मौके पर ही बता दी जायेगी।
3. जिस व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी उसे वाहन की अनुमानित लागत का 25 प्रतिशत धन बैंक ड्राफट/ऑनलाईन ट्रांसफर अथवा कार्यालय में उपलब्ध पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से जमा कराना होगा।
4. नीलामी छुटने पर शेष भुगतान तीन कार्य दिवसों के अन्दर मोदीपुरम कार्यालय में 2.00 बजे तक बैंक ड्राफट/ऑनलाईन ट्रांसफर अथवा कार्यालय में उपलब्ध पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से जमा करके वाहन ले जाना होगा।
5. तीन दिन तक वाहन न ले जाने पर रु0 100/– प्रतिदिन के हिसाब से गैराज चार्ज लिया जायेगा और नीलामी तारीख से दस दिन के अन्दर सम्पूर्ण पैसा जमा न करने अथवा वाहन न ले जाने पर कार्यालय में जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. संयुक्त निदेशक के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त कर सकते हैं।

ह0/–

प्रशासनिक अधिकारी

केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्थान
क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम, मेरठ

दिनांक 18.6.2018 को मोदीपुरम परिसर केन्द्र पर एक मारुति वैन **HP 03 638** एवं मिनी बस **BR 01 0784** नीलाम की जायेगी। नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार हैं:–

नियम एवं शर्तें:–

- मिनी बस तथा मारुति वैन जहां हैं जैसे हैं, के आधार पर नीलाम की जायेंगी।
- प्रत्येक बोली लगाने वाले को 5,000/– मारुति वैन के लिए तथा रु0 10,000/– मिनी बस के लिए धरोहर राशि के रूप में जमा करने होंगें तथा बिना धरोहर राशि जमा कराये बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा।
- बोलीदाता को अपने टैग नं0 से ही बोली लगानी होगी।
- रु 500/– से कम बढ़त की बोली मान्य नहीं होगी।
- जिस व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी उसे वाहन की लागत का 25 प्रतिशत धन उसी दिन बैंक ड्राफट/ऑनलाईन ट्रांसफर अथवा कार्यालय में उपलब्ध पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से जमा जमा करना होगा अन्यथा बोली मान्य नहीं होगी और धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
- नीलामी छुटने पर वाहन की लागत का सम्पूर्ण भुगतान तीन कार्य दिवसों के अन्दर मोदीपुरम कार्यालय में 2.00 बजे तक कार्य दिवसों में बैंक ड्राफट/ऑनलाईन ट्रांसफर अथवा कार्यालय में उपलब्ध पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से जमा करके वाहन ले जाना होगा। तीन कार्य दिवसों में वाहन न ले जाने पर रु0 100/– प्रतिदिन के हिसाब से गैराज का चार्ज लिया जायेगा और नीलामी तारीख से दस दिन के अन्दर सम्पूर्ण पैसा न जमा करने अथवा वाहन न ले जाने पर कार्यालय में जमा धरोहर राशि व 25 प्रतिशत जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगें।
- केन्द्र से कोई लेबर या अन्य सुविधा आदि नहीं दी जायेगी। वाहन जिस स्थिति में और जहां है जैसे हैं, के आधार पर ले जाना होगा।
- बोली लगाने हेतू जमा धरोहर धनराशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात् असफल बोली दाताओं को वापस कर दी जायेगी।
- समिति को हक होगा कि वह बोली की कीमत कम आने की स्थिति में बोली दुबारा शुरू करवा सकती है।
- इस नीलामी से संबंधित यदि सरकारी या अन्य कोई कर देय होगा तो उसकी देनदारी भी बोली दाता की होगी।
- बिना कारण बताये इस नीलामी को रद्द करने का अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा जिसे मानने के लिए सभी बाध्य होंगें।
- विवाद होने की स्थिति में अन्तिम फैसला निदेशक महोदय, केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्थान, शिमला का होगा। जिसे मानने के लिए सभी बाध्य होंगें।
- नियमानुसार वाहनों की अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः खरीदार को इस सम्बन्ध में सभी सरकारी के नियमों का पालन करना होगा ।

प्रशासनिक अधिकारी